न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 206 /2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. अचलाराम 2. उम्मेदाराम पुत्रान रूपाराम जाति–जाट, निवासी– लक्ष्मण नगर, चाडी तहसील आउ जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आउ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक प्र.गां.स./2021/19 दिनांक 08.10.2021 जो उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.गां.स./2021/19 दिनांक 08.10.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.11..2021 को प्रस्तुत की गई है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में धारा 131, 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के परिपत्र का बिल्कुल गलत अर्थ निकालते हुए खसरा संख्या 1182 के अपीलार्थी अभिलिखित खातेदार अपीलार्थीगण को बिना नोटिस सुनवाई के ही उक्त भूमि में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में मनमाने तौर से तैयार की गई मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तथा खसरा संख्या 1182 की भूमि बर्बाद करने के उद्देश्य से पारित किया है। मौके पर कोई रास्ता चलता है व न ही कोई रास्ते की आवश्यकता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हम अपीलान्ट की कोई विधिवत जॉच नहीं

की गई और न ही उनकी सहमति ली गई, जैसा कि राज्य सरकार के परिपत्र का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है।

2. इसके अतिरिक्त राज0 काश्तकारी अधिनियम में स्वयं में रास्ता खुलवाने एवं नया रास्ता उपलब्ध करवाने के विशेष प्रावधान है। ऐसे में इन प्रावधानों की आड में जारी परिपत्रों की आड में खातेदार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्ययालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही व अपीलाधीन आदेश अनाधिकारापूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

3. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित खसरा संख्या 1182 रकबा 2.1044 बारानी भूमि के अभिलिखत खातेदार है उक्त खसरा भूमि में से 0.0647 भूमि का अन्य खसरान भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है।

4. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपरोक्त

ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 11 नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर